नगरपालिका परिषद, मसूरी, देहरादून।

निविदा (तकनीकि एवं वित्तीय बिड) के नियम/शर्तें

1– यह कि निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व धरोहर धनराशि रू0 0.25 लाख की एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0,डाकघर बचत पासबुक,एन0एस0सी0 अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मसूरी के पदनाम से बंधक कर प्रस्तुत करानी होगी तथा फर्म/डीलर को निविदा कय करनें हेतु निर्माता द्वारा दिया गया पत्र भी देना होगा, तत्पश्चात निविदा प्रपत्र निर्गत किया जायेगा।

2– यह कि निर्माता या फर्म/डीलरको सफाई उपकरण/सामग्री की आपूर्ति सीधे नगर पालिका परिषद मसूरी के कार्यालय स्टोर मे करनी होगी।

3– यह कि निर्माता द्वारा अधिकृत फर्म डीलर का प्रमाण पत्र निर्माता कम्पनी के लेटर पेड पर कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ही मान्य होगा, जो निविदा के साथ देना होगा।

4– यह कि निर्माता या फर्म/डीलर को कृषि विभाग द्वारा निर्गत वैधानिक प्रमाण पत्र एवं जन स्वास्थ्य के प्रयोगार्थ कीटनाशक दवाईयों की आपूर्ति करनें का लाईसेन्स निविदा के साथ देना होगा।

5– यह कि निर्माता कम्पनी को कीटनाशक दवाओं के उत्पादन एवं बिकी हेतु केन्द्र एवं राज्य के राजकीय संस्थान द्वारा निर्गत लाईसेन्स प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा।

6– यह कि निविदा प्रपत्र मे नाम, पता, व्यापार करने का स्थान, टेलीफोन नं0, ईमेल आदि का विवरण अंकित करना होगा।

7– यह कि सशर्त निविदा, ओवर राईटिंग एवं कटिंग वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं का निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8– यह कि सम्बन्धित निविदा प्रपत्र स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नगर पालिका परिषद् मसूरी कार्यालय से कय करना होगा तथा मूल रूप से कय किया गया निविदा पत्र ही मान्य होगा।

9– यह कि आपूर्तिकर्ता की गयी सामग्री/उपकरणों की गुणवत्ता का परीक्षण/जांच के उपरांत धन की उपलब्धता होने पर बिलों का भुगतान किया जायेगा।

10– यह कि निर्माता या फर्म/डीलर की न्यूनतम निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित स्टाम्प पेपर3 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर **नगरपालिका परिषद, मसूरी** के साथ अनुबन्ध करना होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति मे धरोहर धनराशि जब्त करते हुए पुनः निविदायें आमंत्रित की जायेगी।

11– **यह कि निर्माता या अधिकृत फर्म/डीलर को आयकर एवं व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं विगत वर्ष 2016–17 का क्लीयरेंस प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा।**

12– **यह कि निर्माता या अधिकृत फर्म/डीलर को विगत 3 वर्ष के आयकर रिर्टन की प्रतियां निविदा के साथ देनी होंगी।**

13– **यह कि निर्माता का विगत 1 वर्ष (2015–16) में कम से कम 50लाख अथवा निर्माता द्वारा अधिकृत फर्म/डीलर का विगत 5 वर्ष में कम से कम 20लाख का टर्नओवर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित निविदा के साथ देना होगा।**

14– **यह कि निर्माता या अधिकृत फर्म/डीलर को उत्तराखण्ड राज्य मे विभिन्न निकाय एवं अन्य विभागों मे आपूर्ति किये गये कीटनाशक दवाओं के आपूर्ति आदेश अथवा अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ देने होंगे।**

प्रभारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

Scanned by CamScanner

15– यह कि निर्माता या अधिकृत फर्म/डीलर को रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र देना होगा कि किसी सरकारी विभाग अथवा अर्द्धसरकारी विभाग से ब्लैकलिस्टेड नहीं है।

16– यह कि निर्माता या अधिकृत फर्म/डीलर को रू0 100.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 के रसीदी टिकट मे हस्ताक्षर कर निविदा के साथ देना होगा, जो उत्तराखण्ड राज्य स्टाम्प विभाग द्वारा निर्गत होगा।

17– यह कि निर्माता या अधिकृत फर्म/डीलर द्वारा आपूर्ति आदेश की दिनांक से निर्धारित अवधि के अन्दर कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति नगर पालिका परिषद् **मसूरी** के कार्यालय स्टोर मे विलम्ब से करने पर सामग्री की धनराशि का 2 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा, जिसकी कटौती उसके बिल से कर दी जायेगी।

18– यह कि निविदा में दी जाने वाली दरों के साथ केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कर (आयकर एवं बिक्रीकर) का उल्लेख करना होगा।

19– यह कि **शॅड्यूल–बी** में सामाग्री की दरों को अंकों व शब्दों दोनों में पठनीय व स्पष्ट रूप से लिखा जाये।

20– यह कि तकनीकि बिड व वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफों में रखी जानी होगी। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखना होगा, उसमें आवेदित सामग्री के नाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। तकनीकि बिड के लिफाफे पर ''**तकनीकि बिड**''लिखा जाना अनिवार्य होगा, तथा वित्तीय बिड के लिफाफों में ''**वित्तीय बिड**'' लिखा जाना अनिवार्य है।

21– यह कि निविदादाता व **नगरपालिका परिषद, मसूरी** के मध्य विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जनपद देहरादून होगा।

22– यह कि आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की संख्या से घटोतरी व बढ़ोतरी/निविदा स्थगन/निरस्त/परिवर्तन हो सकती है, तथा इस हेतु किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23– यह कि निर्माता या अधिकृत फर्म/डीलर को सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मानक व स्पेसिफिकेशन के अनुसार करनी होगी। अन्यथा यदि सामग्री मानक व स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

24– यह कि उपरोक्त शर्तों का विचलन करने पर नियमानुसार निर्माता या अधिकृत फर्म/डीलर के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा निकाय को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की धनराशि वसूली भू–राजस्व के रूप मे आर0सी0 जारी कर की जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर	**अधिशासी अधिकारी**	**प्रभारी अधिकारी**
	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी	प्रभारी अधिकारी

Scanned by CamScanner